न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

पील संख्या: 32/2018 (223 आर.टी.एक्ट)

ी.सी.एम.एस .संख्या:– 2018/00073

उनवान

1. रामजीलाल पुत्र भोरया जाति मीणा उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम भडकोली तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
   1/1. हनुमान प्रसाद पुत्र रामजीलाल
   1/2. रामावतार पुत्र रामजीलाल
   1/3. अतरो देवी बेवा रामजीलाल
   निवासीयान ग्राम भडकोली तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
   1/4. फोरन्ती पुत्री रामजीलाल पत्नि रमेश मीना निवासी बिलोना तहसील लालसोट जिला दौसा
   1/5. प्रकाशी पुत्री रामजीलाल पत्नि दिनेश मीना निवासी लहसाडिया तहसील अलीगढ जिला टोंक
   1/6. ललिता उर्फ लीला पुत्री रामजीलाल पत्नि मुकेश मीना निवासी [illegible] चौड तहसील वामनवास जिला सवाई माधोपुर।
   1/7. हरेशी पुत्री रामजीलाल पत्नि हनुमान मीना निवासी रालाश तहसील लालसोट जिला दौसा
   1/8. गंगोत्री पुत्री रामजीलाल पत्नि रामकेश मीना निवासी सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर

बनाम

1. चतुर्भुज पुत्र पन्नालाल जाति मीना उम्र 52 वर्ष
2. रमेश उम्र 32 वर्ष
3. सुरेन्द्र उम्र 28 वर्ष
4. नरेन्द्र उम्र 25 वर्ष
5. विकास उम्र 23 वर्ष

(2–5) पिसरान चतुर्भुज जाति मीना निवासीयान ग्राम बडागांव कहार तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर

...रेस्पोडेंटगण।

उपस्थित:–

1. श्री भोलाशंकर शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रामजीलाल बनाम चतुर्भुज वगैरह
अपील संख्या 32/2018

—:: निर्णय ::—

दिनांक: 20.02.23

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 36/2017 बउनवान रामजीलाल बनाम चतुर्भुज वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2018 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 445, 446 463,464, 797, 798 में अपीलाण्ट का सम्पूर्ण हिस्सा है एवं खसरा नम्बर 174, 175, 176 181, 182, 247, 248, 257, 267, 316, 323, 397, 401, 402, 403, 404, 408 409, 412 413, 415, 424, 475, 476, 638, 639, 645, 646, 699, 769, 806, 820 824 961 963 में वादी का 1/2 हिस्सा है एवं खसरा नम्बर 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1790. 1794 1795, 1826, 1828, 1926, 1927, 1962, 1963, 1986, 1987, 1988, 1992, 2934, 3020, 4821 में अपीलाण्ट का 1/4 हिस्सा है में वादी की पुश्तैनी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ग्राम भडकोली में स्थित है। प्रतिवादीगण का आराजीयात से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है लेकिन प्रतिवादीगण फर्जी दस्तावेंजो के आधार पर बदनियति से येन–केन प्रकारेंण वादी के कब्जे काश्त की आराजीयात पर कब्जा करना चाहते है। अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जावे एवं प्रतिवादीगंण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त की उक्त विवादित आराजीयात में किसी भी प्रकार की मजाहमत मदाखलत न स्वंय करे न दीगर से करावें। जवाब दावा में प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7–रूल–11 पेश किया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र में दर्ज विवादित आराजी में ख0नं0 463 रकबा 0.02 है०, ख0नं0 464 रकबा 0.79 है0 ग्राम भडकोली का बेचान वादी द्वारा दिनांक 5.07.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 धर्मपत्नि प्रेमदेवी पत्नि चतुर्भुज मीना को कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तथा 100 – रू० के स्टाम्प पर बेचाननामा वादी द्वारा तहरीर कर प्रतिवादी संख्या 1 की धर्मपत्नि प्रेमदेवी को सुपुर्द कर दिया था तभी से प्रेमदेवी का उक्त आराजी पर एडवर्स पजेशन के आधार पर कब्जा चला आ रहा है। नियमानुसार मौके पर जिसका कब्जा होता है उसी को स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त होती है। मौके पर वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नि प्रेमदेवी का कब्जा काश्त है जिसे वादी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है। ख0नं0 797 रकबा 0.36 है0 प्रतिवादी स० 2 रमेश पुत्र चतुर्भुज को दिनांक 24.6.13 को वादी द्वारा [illegible] गया है। इस भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:57 IST
Reason: SelfAttested

62/
[illegible] अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी सं० 2 का 24.06.13 से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। ख0नं0 175 रकबा 0.74 है० ख0नं0 247 रकबा 0.01 है०, ख0नं0 248 रकबा 0.47 है0, ख0नं0 316 रकबा 0.51 है० ख0नं0 402 रकबा 0.19 है०, ख०नं० 403 रकबा 0.08 है० ख0नं0 408 रकबा 0.07 है0 का बेचान तय कर बेचाननामा वादी द्वारा प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में दिनांक 07.07.16 को तहरीर कर आराजी का कब्जा सुपुर्द कर मूल बेचाननामा प्रतिवादी सं0 1 को सुपुर्द कर दिया। प्रतिवादीगण प्रार्थना पत्र के मद नं0 1, 2, 3 में दर्ज आराजी पर बदस्तूर कब्जा काश्त में चले आ रहे है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 7–रूल–11 सी0पी0सी0 के आधार पर विधि द्वारा वर्जित (barred by law) मानकर दिनांक 29.01.2018 को निर्णय व डिक्री पारित करते हुये वादी का दावा खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की जा रही है।

अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात अपीलांट/वादी के कब्जे काश्त की भूमि है जो ग्राम भडकोली तहसील मलारना डूंगर में स्थित है जिसका विस्तृत विवरण पैरा 01 में अंकित है। अपीलांटस् द्वारा मातहत अदालत में दावा करीब 5.2125 है0 रकबे की आराजीयात बाबत् पेश किया गया था लेकिन महज 12 बीघा पर कब्जा नही मानकर संपूर्ण दावा ही खारिज कर दिया गया जो स्पष्ट रूप से विधि विरूद्व है। मातहत अदालत में रेस्पो0 द्वारा कोई जवाबदावा पेश नही किया गया बल्कि दिनांक 27.10.17 को एक दरख्वास्त तहत ऑर्डर 7 रूल 11 सी0पी0सी0 मातहत अदालत में निराधार तथ्यों पर पेश की गई, ऑर्डर 7–रूल–11 सी0पी0सी0 के तहत सिर्फ वादी का दावा देखा जाता है प्रतिवादी का डिफेन्स नहीं देखा जाता है। रेस्पों0 ने अपनी दरख्वास्त ऑर्डर 7–रूल–11 सी0पी0सी0 में जो डिफेन्स लिया है वह जवाबदावे की विषयवस्तु है जो बाद तनकीयात साक्ष्य लेकर ही निर्णित किये जा सकते है। प्रथम दृष्टया दावे की प्लीडिंग्स से ये कतई साबित नही है कि मातहत अदालत न्याया0 दावे में कोई रिलीफ नही दे सकता हो। अपीलांट आज भी विवादित आराजीयात का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है उसे दावा मातहत अदालत मे दावा लाने का पूर्ण अधिकार है। जिन पर मातहत अदालत द्वारा बिना गौर किए ही दावा खारिज कर दिया जो कतई विधि विरूद्व है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 29.01.2018 अपास्त किया जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प्ड दस्तावेजा... पर किसी तरह के

रव अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कोई राईट्स या इन्टरेस्ट किसी भी भूमि में किसी भी व्यक्ति को किएट नही होते है। रेस्पो० ने अपनी दरख्वास्त में एडवर्स पजेशन का भी हवाला दिया है इसी से साबित है कि रेस्पो० के पास कोई टाईटल नही है। एडवर्स पजेशन का आधार दूसरे के टाईटल पर आता है यह रेस्पो० का एडमिशन है जो साबित करता है कि विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7-रूल-11 में वर्णित सभी मदों का उचित जवाब अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बावजूद भी दावा खारिज कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर का निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाई जावें। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील के समर्थन में दृष्टांत 2018(2) आर.आर.टी. 1176, 2019(1) आर.आर.टी. 116, 2020(1) आर.आर.टी. 8, 2018(1) आर.आर.टी. 642 पेश किए।

6. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पो० द्वारा कथन किया कि उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही है। उक्त अपील रेस्पो०/प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने व न्यायालय का कीमती समय जाया करने की गरज से पेश की गई है। अपीलांट संख्या 01/वादी द्वारा रेस्पोडेन्टगण/प्रतिवादीगण को उक्त विवादित आराजीयात का बेचान किये जाने के कारण तथा मौके पर कब्जा रेस्पो०/प्रतिवादीगण का होने से अपील पेश करने का कोई औचित्य नही है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2018 में किसी भी प्रकार की त्रुटि नही है।अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

7. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

8. पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2070-2073 वाके ग्राम भड़कोली पटवार हल्का कंहारउर्फबडागांव तहसील मलारना डूंगर के अनुसार खसरा नंबर 445, 446, 463, 464, 797, 798 कुल किता 6 कुल रकबा 1.44 है० रामजीलाल पुत्र भोरया जाति मीना के नाम दर्ज रिकार्ड है उसी प्रकार खसरा नंबर 174, 175, 176,.......824, 961, 963 सहित कुल किता 35 कुल रकबा 7.20 है० में हिस्सा 1/2 रामजीलाल पुत्र भौरया के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत् 2071-2074 वाके ग्राम व पटवार हल्का कहारउर्फबडागांव तहसील मलारना डूंगर के अनुसार खसरा नंबर 1747, 1748, 1749,......3026, 4821 सहित कुल किता 21 कुल रकबा 1.89 है० में से हिस्सा 1/4 रामजीलाल पुत्र भौरया के नाम दर्ज रिकार्ड है।

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सिविल प्रकिया संहिता आदेश 07–नियम–11 के प्रावधान निम्नानुसार हैः–
(ए) जहां यह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है।
(बी) जहां दावा किया गया राहत का मूल्यांकन नहीं किया गया है, और अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर मूल्यांकन को सही करने के लिए अदालत द्वारा आवश्यक होने पर वादी ऐसा करने में विफल रहता है।
(सी) जहां दावा किया गया राहत उचित रूप से मूल्यवान है, लेकिन वाद अपर्याप्त रूप से मुद्रित कागज पर लिखा गया है, और अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपेक्षित स्टैंप पेपर की आपूर्ति करने के लिए अदालत द्वारा आवश्यक होने पर अभियोगी ऐसा करने में विफल रहता है।
(डी) जहां वादपत्र के कथन से वाद किसी विधि द्वारा वर्जित प्रतीत होता है।
(ई) जहां इसे डुप्लिकेट में फाइल नहीं किया गया है।
(एफ) जहां वादी नियम 9 के प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है।
वाद पत्र का मुख्य अनुतोष शाश्वत स्थाई निषेधाज्ञा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 स्थाई निषेधाज्ञा के निम्न प्रावधान हैः–
"(1) कोई अभिधारी, जिसकी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर के अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू–धारक अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किये जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा।"

इससे स्पष्ट है कि स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दो आवश्यक तथ्य है किः–
(1) व्यक्ति रिकॉर्डेड खातेदार हो।
(2) व्यक्ति वाद दिनांक को भौतिक रूप से विवादित आराजीयात पर काबिज हो।
प्रथमः मातहत अदालत की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत् 2070–2073 से यह तो साबित है कि अपीलांट उक्त आराजीयात का रिकॉर्डेड खातेदार है लेकिन मातहत पत्रावली की में संलग्न बेचाननामा दिनांक 05.07.15 को खसरा नंबर 463 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 464 रकबा 0.79 है0 रेस्पो0 को विक्रय कर दिया है तथा खसरा नंबर 797 रकवा 0.36 है0 को दिनांक 24.06.13 को रहन रखा है। उसी प्रकार बेचाननामा दिनांक 07.07.16 के अनुसार खसरा नंबर 175 रकबा 0.74 है0, 247 रकबा 0.01 है0, 248 रकवा 0.47 है0, 316 रकबा 0.51 है0, 402 रकबा 0.19 है0, 403 रकबा 0.08 है0, 408 रकवा 0.07 है0 रेस्पो0 को बेचान किया है। इसरो यह स्पष्ट है कि अपीलांट का उक्त विवादित आराजीयात पर भौतिक रूप से "कब्जा" नही है। **द्वितीयः** रेस्पो0 01 द्वारा उक्त विवादित आराजीयात से संबधित एक वाद 18/2018 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सवाई माधोपुर मे तकमील मुआयदा का पेश कर रखा है इस से भी प्रमाणित है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य विवादित आराजीयात बाबत् इकरारनामा हुआ है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत [illegible]

62
सहायक अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

9. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह प्रकट है कि विवादित आराजीयात पर अपीलांट का "कब्जा" नही होने के कारण स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलांट सारहीन पाए जाने से खारिज की जाती है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूंगर के मुकदमा नंबर 36/2017 बउनवान रामजीलाल बनाम चतुर्भुज वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2018 को यथावत् रखा जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 20.02.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.01 15:20:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner